संख्या- 44/2019/742/छप्पन-2019-115/89टी0सी0

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2019

विषय: बजट आवंटन के सापेक्ष धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 735/ना0उ0नि0/बजट आवंटन/2019 दिनांक 29 मार्च, 2019 के साथ संलग्न जिलाधिकारी, सोनभद्र के पत्र संख्या-19/डीएलआरसी-म्यो0ह0प0/2019 दिनांक 29 मार्च, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रू0 7,19,43,977/- (रूपए सात करोड़ उन्नीस लाख तैंतालीस हजार नौ सौ सतहत्तर मात्र) के समर्पण पर अनुमोदन दिए जाने एवं वन विभाग को दी जाने वाली धनराशि रू0 38,93,548/- (रूपए अड़तीस लाख तिरानवे हजार पॉच सौ अड़तालीस मात्र) को लेखाशीर्षक "8443-00-117-00-00 सिविल डिपाजिट वर्क डन फार पब्लिक बाडीज" में आहरित कर जमा कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धनराशि रू0 7,19,43,977/- (रूपए सात करोड़ उन्नीस लाख तैंतालीस हजार नौ सौ सतहत्तर मात्र) के समर्पण के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यथाप्रक्रिया नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित की जा सकती है। निदेशालय स्तर से वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्त में समर्पण के प्रस्ताव में इसे सम्मिलित करते हुए शासन स्तर से इस पर अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

3- शासनादेश संख्या-101/2018/1625/छप्पन-2019-115/89टी0सी0 दिनांक 17 सितम्बर, 2018 द्वारा अवमुक्त की गई कुल धनराशि रू0 8,27,10,406/- (रू0 आठ करोड़ सत्ताईस लाख दस हजार चार सौ छ: मात्र) में से वन विभाग को दी जाने वाली धनराशि रू0 38,93,548/- (रूपए अड़तीस लाख तिरानवे हजार पॉच सौ अड़तालीस मात्र) को लेखाशीर्षक "8443-00-117-00-00 सिविल डिपाजिट वर्क डन फार पब्लिक बाडीज" में जमा कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 44/2019/742(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मण्डलायुक्त, मिर्जापुर।
4- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, सोनभद्र।
6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ नियोजन अनुभाग-4/ राजस्व अनुभाग-13
8- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
9- समीक्षा अधिकारी (बजट)।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http:// has nadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।